Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

मध्यकालीन भारत में इक्तादारी व्यवस्था

Anil Kumar*

Teacher of JBT, GSSS Singowal, Narwana, Jind

सार – ***इक्तादारी प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। दिल्ली सल्तनत की राजनैतिक व्यवस्था अपने पूर्वगामी राजपूत सामंती राज्य से भिन्न थी। यह भिन्नता दो तरह से दिखाई देती है। एक तो इक्ता अर्थात हस्तांतरण लगान अधिन्यास और दूसरे शासक वर्ग का स्वरूप। विजेता द्वारा विजित क्षेत्र सैनिकों में बांटना मध्यकालीन भारत की राजनैतिक व्यवस्था थी। इसका स्वरूप सामाजिक और राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहा। जो क्षेत्र विजित किया जाता था उस क्षेत्र के राजा को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। कई क्षेत्रों पर सुल्तान का सीधा नियंत्रण होता था। परंतु अधिकतर क्षेत्र अमीर और सैनिक अधिकारियों में बांट दिए जाते थे।***

इक्ता का अर्थ है वह भूखंड है जिसमें आने वाला भू-राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनीक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वाले को मुक्ति, वली और इक्तेदार कहा जाता था। जो नगद वेतन न लेकर भूमि का कुछ भाग लेते थे। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे पहला तो भूराजस्व इकट्ठा करना तथा तथा दूसरा उस एकत्रित भू-राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना।

----------X----------

सर्वप्रथम इक्ता का प्रचलन अब्बासी खलीफाओं के समय में आरंभ हुआ। खलीफाओं के समय में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के परिणामस्वरुप राज्य की शक्ति में कमी आई। जिसके कारण राज्य के सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के खर्चे को पूरा करने के लिए इक्ता प्रणाली विकसित की गई। वित्तीय कठिनाई से निपटने के लिए सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भूखंड बांटे जाने लगे जो इक्ता कहलाते थे। इक्ता प्राप्त करने वाले उस भूभाग के मालिक नहीं थे बल्कि उस भूखंड से आने वाले भू राजस्व का उपभोग करते थे। अब्बासी खलीफाओं से प्रेरित होकर बुवाईदो, दो सल्जुको, हम दानियों, गजनी तथा खुरासान के शासकों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। बाद में चलकर तुर्कों ने भी इस व्यवस्था के द्वारा भारत में शासन चलाया।

जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो तुर्कों ने दूर दूर तक प्रदेशों को विजित कर लिया। अब उनके सामने समस्या थी कि किस तरह से विजित प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था स्थापित की जाए और किस तरह भू राजस्व एवं दूसरे कर वसूले जाए। आरंभिक तुर्कों के सामने मंगोलो के आक्रमण से निपटने की भी गंभीर समस्या थी तथा इसके लिए आवश्यक था कि राज्य की आय के साधनों पर प्रशासन का अधिकार हो ।इन कारणों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस समय की परिस्थितियों में तुर्की सैनिकों के एक वर्ग को भी संतुष्ट करना था। सैन्य अधिकारियों को बड़े बड़े इलाके इक्ता के रूप में देकर संतुष्ट कर दिया गया। जिससे उन्हें एक तो प्रशासन करने के लिए क्षेत्र मिला और दूसरे खराज की वसूली का अधिकार मिला। सुल्तान को अपने प्रशासन चलाने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। इक्ता प्रणाली लागू करने के उद्देश्य में यह बात भी निहित थी कि दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक ढांचे में निहित एकता को तत्काल कोई खतरा पैदा ना हो।

निजाम उल मुल्क तूसी इक्ता के महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है कि मुक्ति को करों विशेषकर भू-राजस्व सुनने का अधिकार जो राजा को देय था उसकी उगाही वह सुल्तान की कृपा से ही कर सकता था। इसके बदले में मुक्ति को कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते थे इनमें से प्रमुख कर्तव्य मुक्ति को प्रशिक्षित सेना रखनी पड़ती थी। जो सुल्तान के आदेश पर कहीं भी भेजी जा सकती थी। तूसी मानता है कि इस तरीके से सुल्तान काफी बड़ी सेना रखता था। इस तरह मुक्ति भू-राजस्व इकट्ठा करने वाला तथा अपनी सेना को वेतन देने वाला भी था जिसका वह सेनापति भी होता था।

www.ignited.in

इक्तादार के कुछ अन्य कर्तव्य हुए भी थे। निजाम उल मुल्क तुसी के अनुसार मुक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका किसानों पर कोई अधिकार नहीं है उन्हें तो व्यवहार में केवल उतना ही राजस्व लेना चाहिए जितना उसे अनुदान में मिला है। किसानों के जीवन धन संपत्ति एवं उनके परिवार को किसी भी हानि से मुक्त रखना मुक्ति का कर्तव्य है। मुक्ति किसानों को तंग नहीं कर सकता था यदि ऐसा है तो उसकी शिकायत सीधे सुल्तान से ही जा सकती थी। सुल्तान उसकी शक्ति छीन सकता था तथा उसका ट्रांसफर भी कर सकता था। अलाउद्दीन और मुहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादरो के साथ कर्तव्य पूरा न करने की स्थिति में कठोर दंड दिया। इक्ता की संपूर्ण आंतरिक प्रशासन का नियंत्रण करना, अपने क्षेत्र में जासूस बनाए रखना, लोगों की जान माल की रक्षा करना भी इक्तेदार का कर्तव्य था। वसूल किए गए धन का लेखा-जोखा रखना जिसका जांच दीवान ए विजारत के अधीन की जाती थी।

कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हमें इक्ता संबंधी प्रणाली के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है ।

इल्तुतमिश को हम वास्तव में दिल्ली सल्तनत का आधार मानते हैं। इल्तुतमिश के समय में मुक्ति का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया जाता था।दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके तथा दोआब का कुछ हिस्सा खालसा भूमि के अंतर्गत ले लिया। इसमें हश्म-ए-क्लब जो 2000 या 3000 करीब थे को दोआब का इलाका इक्ता के रूप में दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश के समय में दो प्रकार के इक्ता थे पहले वे जो उसने अपने खाने(सैनिक अधिकारियों) को दिए थे बड़े इक्ता थे। दूसरे हसमे-कल्ब एक क्लब को तनख्वाह के रूप में दिए जाने वाले छोटे इक्त थे। जो दोआब क्षेत्र में प्रदान किए गए। इल्तुतमिश ने खान, मलिक एवं अमीर की आमदनी पर कोई अंकुश नहीं लगाया।

इल्तुतमिश के शासन काल में इक्ता व्यवस्था प्रशासन का आधार थी। उसने अपने शासनकाल में मुल्तान से लेकर लखनौती तक की सल्तनत को छोटे व बड़े इक्तओं में मुक्तियों के बीच बांट दिया। सुल्तान की शक्ति वास्तविक शक्ति ने बनकर इक्तादरों पर निर्भर करने लगी जो सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बहुत से इक्तादरों ने इल्तुतमिश के कमजोर अधिकारियों के कारण इक्ता पर अपना वंशानुगत नियंत्रण जमा लिया।बलबन के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उसने सबसे पहले इक्तादारो की जांच के लिए कठोर से कठोर नियम बनाए और एक जांच आयोग की नियुक्ति की जिसका कार्य था इक्ता की प्रकृति और शर्तों को निरीक्षण करना। उसने दोआब के क्षेत्र में दो हजार सैनिकों को इक्ता प्रदान किए।बलबन ने तीन महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने इक्तादरों का वंशानुगत अधिकार मानने से इनकार कर दिया। उसने ग्रांट आदि सब शर्ते वापस ले ली।जो इक्तादार जीवित नहीं है उनकी भूमि को खालसा में बदल दिया। बलबन का कहना था कि इक्ता सैनिक सेवा के बदले प्रदान किए गए हैं।बरनी के अनुसार बलबन ने इक्तदारों को तीन श्रेणियों में बांटा।प्रथम श्रेणी में वे लोग थे जो पूर्णतय वृध्द निर्बल हो चुके थे एवं युद्ध के योग्य न रह गए थे। उनके लिए 40 से 50 टंका का वजीफा निश्चित किया गया तथा उनके लिए गांव को खालिसा में सम्मिलित किया जाना था।दूसरी श्रेणी में जवान मुक्ति थे उनका वेतन योग्यतानुसार निश्चित किया गया। तीसरी श्रेणी में अनाथ बच्चे व वे लोग थे जिनके पास गांव थे और जो अपने दासों के द्वारा घोड़े, अस्त्र-शस्त्र आदि के दीवाने-ए-अर्ज को कुछ सहायता देते थे।

बलबन ने 3000 इक्ताएं बांटी इससे पहले किसी भी सुल्तान ने इतनी इक्ताएं नहीं बांटी थी। उसने दीवान- ए-अर्ज एक नया विभाग खोला। इस प्रकार बलबन की नीति ने अमीरों के लिए दयनीय स्थिति पैदा कर दी।बलबन ने दिल्ली के कोतवाल फकरुदीन के कहने पर कुछ रियायतें दी परंतु इक्तादारों ने वंशानुगत सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही इक्तदारों पर निगाह रखने के लिए ख्वाजा की नियुक्ति की।

जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्व व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। परंतु अलाउद्दीन के समय में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन ने भूमि कर उपज का आधा कर दिया उसने पहली बार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को खालसा भूमि में बदलना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने अनुदान देने की प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया। राजस्व के मामले में अधिकाधिक व केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में होते चले गए। अलाउद्दीन ने भी सेना के नियंत्रण के लिए खालसा भूमि की आय से नगद वेतन लिया।

अलाउद्दीन मुस्तकराज नामक एक नया विभाग खोला और पटवारियों की बहियां मंगवा कर उनका पूरा हिसाब-किताब लगवाया। पैमाइश के अनुसार भूमि प्रदान की गई अलाउद्दीन ने बलबन से भी कठोर नीति लागू करके इक्तादारों और अमीरों की हालत दयनीय बना डाली और हर कार्य में सुल्तान के हस्तक्षेप की नीति को सही रूप से आरंभ किया। गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते हैं इन नियमों में कुछ परिवर्तन तथा ढील अवश्य प्रदान की।उसने भी इक्ता के राजस्व से मुक्ति की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे

गए सैनिकों के वेतन के भागों का स्पष्ट विभाजन किया।उसने भी पैमाइश के आधार पर इक्ता प्रदान किए ।

मुहम्मद बिन तुगलक के काल में सरकार के नियंत्रण का शिकंजा इक्तदारों पर और अधिक कसा गया। इसके काल में राजस्व एकत्रित करना तथा सेना का रखरखाव यह दोनों कार्य अलग अलग कर दिए गए। राजस्व संबंधी उत्तरदायित्व मुक्ति तथा वली से लेकर नए अधिकारियों 'वली-उल-खराज'को सौंपे गए।

फिरोजशाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह अमीर वर्ग के सहयोग से गद्दी पर बैठा था।लिहाजा उसने अमीर वर्ग को बहुत सी रियायतें दी सबसे पहले उसने सल्तनत की नई जमा अनुमानित राजस्व निकाल पाने की घोषणा की। फिरोज शाह को राज्यकाल में वंशानुगत सिद्धांत पर जोर दिया।उसने अपने बड़े अमीरों की तनख्वाह बढ़ा दी। सैनिकों को नगद वेतन की अपेक्षा इक्ता प्रदान की।फिरोजशाह के राज्य काल में वंशानुगत सिद्धांत पर जोर दिया। लोधियों के अंतर्गत इक्ता व्यवस्था पहले जैसे ही रह गई थी।लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए। इसमें इक्ता शब्द ओझल हो गया और उसकी जगह सरकार और परगना ने ले ली।यह क्षेत्रीय विभाजन था। इरफान हबीब के अनुसार संभवत सरकार की उत्पत्ति किसी अमीर के संस्थापन को दर्शाती हैं। सिकंदर लोधी अपने अमीरों से उनकी सरकारों की बढ़ी हुई आय की प्राप्ति का दावा न करने के लिए मशहूर था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्ता प्रणाली के कारण ही दिल्ली सल्तनत वजूद में आई और जब-जब सुल्तान कमजोर हुए इक्तदार शक्तिशाली हुए।सुल्तान ने वली, मुक्ति या इक्तदार पर जब तक कडा नियंत्रण रखा तब तक इक्तदारो ने दिल्ली सल्तनत के फैलाव सुदृढ़ीकरण तथा इसको आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया। सल्तनत प्रणाली तथा इक्ता प्रणाली एक दूसरे के पूरक थे तथा एक के बिना दूसरे का वजूद असंभव था

संदर्भ ग्रंथ:-

Ahmed, M.B. The administration of justice in mediaeval India.

Habib M. and comprehensive history of India: The

Nizami R. A. Delhi sultanate (1206-1526).

Satish Chandera : Mediaeval India (Sultanate to Mughal kaal)

Kasambi D.D. : An introduction to the study of Indian history.

Qureshi I. H. : The administration of Sultanate of Delhi

Satish Chander: Medieval India (NCERT-12 class)

Tripathi, R.P. : 1) Rise and fall of Mugal Empire. 2) Some Aspects of Muslim administration.

Stein B. : Peasant state and Society in mediaeval South India

Corresponding Author

Anil Kumar*

Teacher of JBT, GSSS Singowal, Narwana, Jind

www.ignited.in